शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय

राजनांदगांव (छ.ग.)

महिला उत्पीड़न निवारण एवं विकास समिति

वार्षिक प्रतिवेदन

2017–18

डॉ. आर. एन. सिंह

प्राचार्य

शासकीय दिग्विजय पी.जी. महाविद्यालय,

राजनांदगांव (छ.ग.)

डॉ. मीना प्रसाद

संयोजक

महिला उत्पीड़न निवारण एवं विकास समिति,

शास. दिग्विजय महा. राजनांदगांव (छ.ग.)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

महिला उत्पीड़न निवारण विकास समिति

संयोजक –डॉ. (श्रीमती) मीना प्रसाद

शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय की महिला उत्पीड़न निवारण विकास समिति की बैठक प्रतिमाह – आयोजित की जाती है, जिससे महाविद्यालय की महिला कर्मचारियों एवं छात्राओं की समस्याओ की जानकारी लेते हुए उसको यथा सम्भव समाधान का प्रयास समिति द्वारा किया जाता है।

ईंधन संरक्षण पर कार्यशाला –

दिनांक 15.09.2017 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के सौजन्य से महाविद्यालय में महिला उत्पीड़न निवारण विकास समिति द्वारा ईंधन संरक्षण पर घरेलू कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के मुख्य अतिथि नितिन शर्मा.के द्वारा महाविद्यालय की छात्राओं को ईंधन संरक्षण की जानकारी प्रदान की गई। घरो में उपयोग की जाने वाली गैस को कार्य के दौरान किस तरह से सुरक्षित रखते हुए बचाया जा सकता है। इसकी जानकारी दी गई छात्राओ द्वारा भी अपनी कई संकाओं का समाधान प्राप्त किया।

महिलाओं के विधिक अधिकारों के प्रति जागरूकता पर कार्यशाला 14 तथा 15 नवम्बर–

2017 को शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय की महिला उत्पीड़न निवारण विकास समिति को राष्ट्रीय महिला आयोग "नई दिल्ली" द्वारा "महिला सशक्तिकरण" में विधिक अधिकारों के विषय में जागरूकता प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु 28500 रूपये प्रदान किये गये।

Scanned by CamScanner

समिति द्वारा महाविद्यालय में दिनांक 14 तथा 15 नवम्बर 2017 को दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें महाविद्यालय के छात्र–छात्राओ ने भाग लिया।

प्रथम दिवस – कार्यशाला के प्रथम दिवस पर प्रमुख वक्ता के रूप में सुश्री अंजली सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उपस्थित रही। सुश्री सिंह ने विद्यार्थियों को महिला सशक्तिकरण की उपयोगिता एवं इससे जुड़े कानूनो के विषय में विस्तृत जानकारी दी। उन्होने महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध से महिला संरक्षण अधिनियम 2013 (2) घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 (3) अनैतिक व्यवहार (निवारण) अधिनियम 1956 (4) गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 पर विस्तृत जानकारी दी जिसमें विद्यार्थियों ने विशेष रूचि दिखयी। सुश्री सिंह ने उन सभी नवीन संशोधन जो कन्याओं/स्त्रियों के हित में किए गए है, की जानकारी भी प्रदान की।

दूसरा दिवस – कार्यशाला के दूसरे दिवस श्रीमती शारदा तिवारी वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सजक समाज सेविका इस कार्यशाला की प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित रही इन्होने दहेज, से जुड़े विभिन्न कानूनों से विद्यार्थियों को अवगत कराया। साथ ही पुत्रियों को पैत्रिक संपत्ति के अधिकार विधवा/तलाक पुनर्विवाह, पुनर्विवाह के पश्चात् भरण–पोषण के अधिकार PNDT अधिनियम 1994, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 की विस्तृत जानकारी प्रदान की। द्वितीय वक्ता श्रीमती रेणु शर्मा सभापति महिला बाल विकास ने प्राचीन भारत से वर्तमान भारत में महिलाओं की सामाजिक एवं पारिवारिक स्थितियों में बदलावों से छात्र–छात्राओं को अवगत कराया।

तृतीय वक्ता श्रीमती शोभा चौरसिया अध्यक्ष, लॉयंस क्लब ने भी विद्यार्थियों को विधिक अधिकारो से संबंधित जानकारी दी। उपरोक्त कार्यशाला में छात्र–छात्राओं की बड़ी संख्या में

Scanned by CamScanner

उपस्थिति रहै। महाविद्यालय से महिला उत्पीड़न निवारण एवं विकास समिति की संयोजक डॉ. (श्रीमती) मीना प्रसाद एवं समिति के सदस्य डॉ. अंजना ठाकुर, श्रीमती प्रीतिबाला टॉक, डॉ. (श्रीमती) कविता साकुरे, डॉ. (श्रीमती) अनिता साहा, प्रो. (श्रीमती) ललीता साहू, प्रो. प्रियंका सिंह, प्रो. मेजरी सिंह उपस्थित रहे।

विधिक जागरूकता प्रतियोगिता–

कार्यशाला के पश्चात् दिनांक 17.11.2017 को महाविद्यालय स्तर पर दो घण्टे की वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता (MCQ) आयोजित की गई, जिसमें सभी संकाओं के 732 छात्र–छात्राएं उपस्थित हुये।

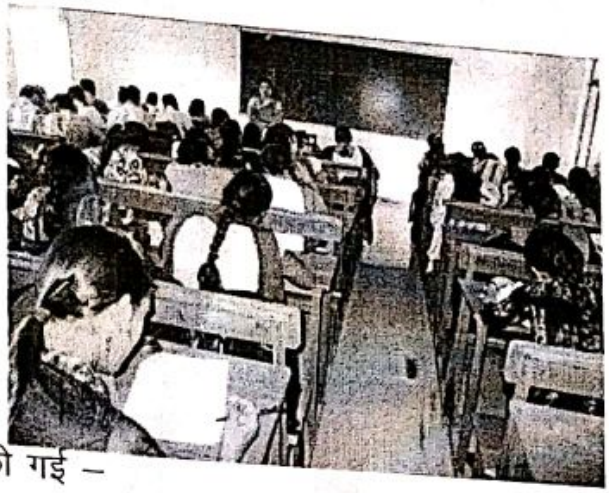

MCQ प्रतियोगिता निम्न शीर्षको पर आयोजित की गई –

1. Constitution of India mainly, the Preamble, Fundamental Right, Principles of State Policy, Fundamental Duties, including Article 33 at 226 there of.
2. National Commission for Women Act, 1990 (20 of 1990)
3. Dowry Prohibition Act, 1961
4. Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005
5. The Sexual Harassment of Women at Work place (Prevention, Prohibition and Redressal Act) Act, 2013
6. The Criminal Law Amendment Act 2013
7. The Maternity Benefit Act 1961
8. The Medical Termination of Pregnancy Act 1971 (34 of 1971)
9. The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956
10. The Pre- Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques. (Prohibition of sex selection) Act, 1994
11. The Minimum Wages Act, 1948
12. SC and the ST (Prevention of Atrocities) Amendment Act, 20

Scanned by CamScanner

13. The Scheduled Tribes and Othe traditional forest devellens (Recognition of Forest Rights) Act, 2008

उक्त प्रतियोगिता के परिणाम 25.11.2017 को घोषित की गई जिसमें महाविद्यालय की छात्रा कु. प्रतिमा टेम्भूलकर (एम.ए. पूर्व) समाजशास्त्र ने "प्रथम" स्थान प्राप्त करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 2000 रूपये नगद राशि प्राप्त की।

द्वितीय पुरस्कार आशीष कुमार साहू बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष ने प्राप्त किया जिन्हे 1500 रूपये नगद राशि प्रदान की गई।

तृतीय पुरस्कार – 5 विद्यार्थियों करो प्रदान किया गया जिसमें –

(1) गुंजा साहू एम.ए. प्रथम (समाजशास्त्र)

(2) योगेन्द्र ठाकुर बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष (बायो.)

(3) प्रवीण कुमार देवांगन बी.एस.सी. प्रथम वर्ष (कम्प्यूटर सांइंस)

(4) शेफाली तिवारी एम.एस.डब्ल्यू. (पूर्व)

(5) प्रियंका साहू बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष रहे।

इन्हे क्रमशः 1000 (एक हजार) रूपये नगद राशि प्रदान की गई।

ईंधन सुरक्षा पर कार्यशाला –

दिनांक 08.01.2018 को महिला उत्पीड़न निवारण एवं विकास समिति द्वारा महाविद्यालय में पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के संयुक्त तत्वधान में महाविद्यालय में ईंधन की बचत सुरक्षा के उपाय के संबंध में कार्यशाला का आयोजन के दौरान सुदीप दास मुख्य क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर व नेमेश देशमुख सहायक प्रबंधक भिलाई के निर्देशन में एल.पी.जी. गैस की सुरक्षा व उचित उपयोग के संबंध में छात्र–छात्राओं को जानकारी दी। होम प्राइड के संचालक नरेन्द्र डाकलिया ने एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर रेगुलेटर व पाईप के विषय में जानकारी देते हुए डैमो के माध्यम से सिलेण्डर में आग लग जाने पर बचने के उपाय प्रस्तुत किये। इस अवसर पर प्रस्तुतीकरण स्थल पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. आर.एन. सिंह व प्रकोष्ठ की संयोजक डॉ. (श्रीमती) मीना पसाद, प्रो. ललीता साहू, डॉ. दिव्या देशपाण्डे उपस्थित रहे।

Scanned by CamScanner

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस –

महाविद्यालय में 8 मार्च को महिला प्रकोष्ठ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं समाजसेवी शारदा तिवारी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में पार्षद रेणु शर्मा उपस्थित रही।

कार्यक्रम की अध्यक्षता शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्य डॉ. हेमलता मोहबे ने की। प्रभारी प्राचार्य डॉ. चंद्रिका नाथवानी ने अपने स्वागत भाषण में मंचस्थ अतिथियों का अभिनंदन करतें हुए कहा कि महिला दिवस मनाने की सार्थकता तभी है जब केवल एक दिन स्त्री उन्नति का चितन न हो अपितु सदैव समाज में महिला सम्मान अधिकार एवं स्वतंत्रता की हकदार बने। रेणु शर्मा ने कहा कि नारियों की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है शासन स्तर पर उनकी उन्नति के लिए भरपूर प्रयास किये जा रहे है, महिलाओं को नकारात्मकता से दूर रहने की सलाह दी। छात्राओं को चाहिए कि वे अपने व्यवहार में परम्परा एवं आधुनिकता का सामंजस्य स्थापित करे। डॉ. हेमलता मोहबे जी ने कहा कि तकनीकि विकास ने नारी का जीवन पहले की अपेक्षा अधिक सुगम कर दिया है, परिस्थितियों से जूझने की क्षमता महिला में प्रकृति प्रदत्त है केवल हमें उस क्षमता को पहचानना होगा।

इस अवसर पर महाविद्यालय की छात्रा सरस्वती जैन, सारिका पंजवानी, हीना निषद, एश्वर्या साव, रेणुका साहू, कविता सिन्हा एवं क्षमता साहू ने कविता गीत भाषण आदि कार्यक्रम प्रस्तुत किये सशक्तिकरण से संबंधित "नुक्कड़ नाटक" प्रस्तुत किया गया जिसे अतिथियों ने सराहा।

कार्यक्रम की संयोजिका डॉ. (श्रीमती) मीना प्रसाद ने अतिथियों का आभार प्रदर्शन किया तथा कार्यक्रम का संचालन डॉ. दिव्या देशपाण्डे ने किया इस दौरान समिति के सदस्य डॉ. कविता साकुरे प्रो. ललिता साहू तथा विभिन्न संकाय की छात्राएं उपस्थित रही। महाविद्यालय के महिला प्राध्यापक डॉ. अनिता महेश्वर, डॉ. अंजना ठाकुर, प्रो. ऊषा ठाकुर, डॉ. सीमा त्रिपाठी ने छात्राओं का उत्साहवर्धन किया।

Scanned by CamScanner

(५)

आंतरराष्ट्रीय महिलादिवस

Scanned by CamScanner